भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3834

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी और घरेलू पर्यटकों का आगमन

†3834. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में विदेशी और घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से मणिपुर और तमिलनाडु में, ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन के लिए नए स्थानों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क)**:** पर्यटन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) से संबंधित आंकडे संकलित करता है। पिछले दस वर्षों (2016-2025**)** के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख)**:** पर्यटन मंत्रालय देश में अंतर्गामी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण और संभावित पर्यटक सृजन करने वाले बाजारों में विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों का आयोजना करता है। ये कार्यकलाप संबंधित देशों में स्थित भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और यात्रा व्यापार क्षेत्र के सहयोग से किए जाते हैं। इन संवर्धनात्मक कार्यकलापों में पर्यटन रोड-शो के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यापार प्रदर्शनियों, मेलों और कार्यक्रमों में भागीदारी; विदेशी टूर ऑपरेटरों, मीडिया और इन्फ़्ल्युएंसर के लिए परिचायक (एफएएम) दौरों के आयोजन; भारतीय खाद्य महोत्सवों; स्थानीय टूर ऑपरेटरों और उद्योग के अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव; सोशल मीडिया हैंडल आदि के माध्यम से प्रचार करना शामिल है।

(ग): पर्यटक स्थलों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी जारी योजनाओं के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता करता है। मंत्रालय ने गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया। एसडी 2.0 के तहत, मंत्रालय ने विकास के लिए 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने एक चुनौती मोड के माध्यम से गंतव्यों को स्थायी और उत्तरदायी स्थलों में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना के रूप में 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी) को शुरू किया है।

इसके अलावा, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास योजना के तहत, सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के व्यापक रूप से विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य से 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

*****

अनुबंध

डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम और डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा विदेशी और घरेलू पर्यटकों के आगमन के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †3834 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

पिछले दस वर्षों (2016-2025) के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसार घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण नीचे दिया गया है:-

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016		2017		2018		2019		2020	
	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी
मणिपुर	1,50,638	3,064	1,53,454	3,497	1,76,109	6,391	1,67,560	13,608	49,669	3,139
तमिलनाडु	34,38,12,413	47,21,978	34,50,61,140	48,60,455	38,59,09,376	60,74,345	49,48,65,257	68,66,327	14,06,51,241	12,28,323
अन्य राज्य	1,27,14,25,568	1,99,89,461	1,31,23,31,558	2,20,22,732	1,46,77,02,234	2,27,70,394	1,82,69,49,846	2,45,28,731	46,95,15,247	59,40,307
कुल	**1,61,53,88,619**	**2,47,14,503**	**1,65,75,46,152**	**2,68,86,684**	**1,85,37,87,719**	**2,88,51,130**	**2,32,19,82,663**	**3,14,08,666**	**61,02,16,157**	**71,71,769**

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2021		2022		2023		2024		2025 (अनंतिम)	
	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी
मणिपुर	49,371	648	1,39,518	3,908	57,701	3,668	29,102	2,518	25,281	2,892
तमिलनाडु	11,53,36,719	57,622	21,85,84,846	4,07,126	28,60,11,515	11,74,899	30,68,42,014	11,61,302	35,70,95,556	15,45,988
अन्य राज्य	56,22,46,891	9,96,372	1,51,22,89,175	81,76,528	2,22,27,48,494	1,80,62,645	2,64,13,19,709	1,97,78,254	3,77,57,19,519	2,24,69,440
कुल	**67,76,32,981**	**10,54,642**	**1,73,10,13,539**	**85,87,562**	**2,50,88,17,710**	**1,92,41,212**	**2,94,81,90,825**	**2,09,42,074**	**4,13,28,40,356**	**2,40,18,320**

स्रोत: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

*****